न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत जाटावाली)

मु.न. 25/2017

उनवान

तीजा देवी पत्नी श्री राम सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. नाथूराम पुत्र श्री नानगराम
2. रामकरण पुत्र नाथूराम
3. रामलाल पुत्र नाथूराम
4. बलदेव पुत्र नाथूराम
5. रमेश पुत्र नाथूराम
6. लाली पुत्री श्री नाथूराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत जाटावाली मे पेश हुई। प्रार्थीया ने अपने वाद में निवेदन किया है कि ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली तहसील चौमूं जिला जयपुर में अवस्थित हाल खाता संख्या 91 के खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर की खातेदारी काश्तकार हैं, उक्त आराजी इस वाद में वादग्रस्त है, जिसे वाद पत्र में अग्रिम मदों में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

वादीया के वादग्रस्त आराजी के सींव के लगवा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि अवस्थित है तथा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य स्थित सींव डोल कर रखी है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा दिनांक 08.03.2017 को वादीया की सींव डोल को तोड दिया एवं मौके पर भारी संख्या में मजदूर लगाकर बिना सीमा ज्ञान व कृषि भूमि को सपरिवर्तन कराये बिना नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। जिस पर वादीया ने अपनी खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका तो उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उग्र हो गये व मारपीट पर उतारू हो गये व वादीया द्वारा हल्ला करने पर तब तो चले गये परन्तु वादीया की कृषि भूमि पर निर्माण करने की एलानियां धमकी दी व वादीया की वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करने पर आमादा हैं। जिस कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष लाजमी हुआ।

ऐसे में वादीया को यह अधिकार हांसिल की वह मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमायें कि प्रतिवादीगण वादीया की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1085/2 पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई नींव खोदे, ना ही वादीया के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना ही वादीया को वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार से

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

बेदखल करें, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं कारित करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैंन या अन्य किसी से करवायें।

वादीया को वर्णित अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं। यदि वादीया को उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण वादीया की वादग्रस्त आराजी पर बिना सीमाज्ञान के निर्माण कार्य कर बेदखल कर देंगे। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिस कारण न्याय का मकसद ही फौत हो जावेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमायें कि प्रतिवादीगण वादीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1085/2 वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई नींव खोदे, ना ही वादीया के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना वादीया को वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार से बेदखल करें, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं कारित करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमैन या अन्य किसी से करवायें।

वादीया के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीयां उपस्थित। वादीयां को सुना गया। वादीया आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर, वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली तहसील चौमूं जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई नींव खोदे, ना ही वादीया के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना वादीया को वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार से बेदखल करें, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं कारित करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमैन या अन्य किसी से करवायें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जाटावाली में सुनाया गया।

उप (प्रियव्रत सिंह चारण) खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जिला-जयपुर)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली)

पीठासीन अधिकारी :— प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :— **25/2017**

उनवान

तीजा देवी पत्नी श्री राम सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. नाथूराम पुत्र श्री नानगराम
2. रामकरण पुत्र नाथूराम
3. रामलाल पुत्र नाथूराम
4. बलदेव पुत्र नाथूराम
5. रमेश पुत्र नाथूराम
6. लाली पुत्री श्री नाथूराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर, वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली तहसील चौमूं जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई नींव खोदे, ना ही वादीया के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना वादीया को वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार से बेदखल करें, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं कारित करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमैन या अन्य किसी से करवायें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली मे आज तारीख 10.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट चौमूँ जिला–जयपुर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner